कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No. 07453-230410, Fax No. 07453-230244

क्रमांक एफ( )एफ.सी.ए./उवस/17-18/ 10198 दिनांक :- 25/8/17

निमित्त :-

अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि.
खण्ड छबडा।

विषय :- सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना में कमियो की पूर्ति बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक राज. जयपुर के प्रासंगिक पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे जिसके द्वारा हिंगलोट से मदनाखेडी सडक निर्माण हेतु प्रस्ताव संख्या FP/RJ/Road/10911/2015 कुल 2.27 है0 के लिए जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना में पाई गई कमियो की पूर्ति करवाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः पूर्ति कर तत्काल अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराने का कष्ट करें।

1. बिन्दु संख्या 3 प्रस्तावित प्रत्यावर्तन हेतु वन भूमि की KML FILE संलग्न की गई है किन्तु संलग्न किये गये DGPS MAP से यह स्पष्ट नही हो पाता है कि वन क्षैत्र एवं गैर वन क्षैत्र कोनसा है संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।
2. बिन्दु संख्या 4 रोजगार सृजन सम्बन्धी सूचना में 500 स्थायी रोजगार सृजन होना अवगत कराय गया है जो उचित प्रतीत नही होता है। रोजगार सृजन की सही स्थिति भरा जाना प्रस्तावित है।
3. बिन्दु संख्या 5 यूजर ऐजेन्सी द्वारा संलग्न ग्रामवार सूचना से वनाधिकार प्रमाण पत्र में ग्राम मदनाखेडी की सूचना का मिलान नही होता है जो संशोधित कर प्रस्तुत किया जाना है।
4. प्रस्ताव में चाही गई सूचना का दो सैट हार्ड प्रति (एक मूल प्रति) के चाहे गये थे जो अपेक्षित है इनमें एक सैट प्रतियो के साथ एवं एक सैट फोटो प्रति जिसमें सभी दस्तावेजो पर यूजर ऐजेन्सी एरिया केलकुलेशन रिपोर्ट समस्त नक्शे, जमाबन्दी राजस्व मेप आदि पर हस्ताक्षर मय नाम, पदनाम एवं दिनांक सहित मुहर लगाया जाना प्रस्तावित है। अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित है।
5. प्रस्ताव में अधिकृत अधिकारी द्वारा दी गई सूचना को मूल दस्तावेज से जिसमें अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय नाम, पदनाम एवं दिनांक अंकित हो से अपलोड किया जाना प्रस्तावित है। अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित है।
6. प्रस्ताव में एम.ओ.ई.एफ. लखनऊ द्वारा उनके पत्राक दिनांक 18.09.2015 से चाही गई सूचनाए अपूर्ण भिजवाई गई है। अतः अविलम्ब का कारण स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है।

उप वन संरक्षक
बारां

FCA/ LETTER FCA 2016

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

F 14 ( ) 2014/FCA/PCCF/ CCF EDS – II Dated 12.7.2017

EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV CHABRA BARAN के द्वारा बारां जिले/वनमण्डल में **Construction of road from Hinglot to Madnakheri in Baran in Rajasthan** के निर्माण कार्य हेतु 2.27 हैक्टयर वन क्षैत्र के अनारक्षण के लिए online पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFCP पर प्रस्ताव सं. FP/RJ/ROAD/10911/2015 पर को रजिस्टर किया गया था। एम0ओ0ई0एफ लखनउ द्वारा चाही गई सूचनाओं के कम में मुख्य वन संरक्षक कोटा द्वारा संशोधित प्रस्ताव भिजवाया गया है। प्रस्ताव का परीक्षण किये जाने पर टिप्पणी निम्नानुसार है :–

1. बिन्दु संख्या 1 :– उप वन संरक्षक द्वारा पूर्व में दिये गये जवाब में कोई बदलाव नही किया गया है। क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण स्थल के उपयुक्तता प्रमाण पत्र में स्थल पर कोई अतिकमण नही होना एवं सभी विवादों से मुक्त होना अंकित नही किया गया है।
2. बिन्दु संख्या 2 :– क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण स्थल की KML File अपलोड किया जाना प्रस्तावित है।
3. बिन्दु संख्या 3 :– प्रस्तावित प्रत्यावर्तन हेतु वन भूमि की KML File संलग्न की गई है किन्तु संलग्न किये गये DGPS map से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि वन क्षैत्र एवं गैर वन क्षैत्र कौनसा है संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।
4. बिन्दु संख्या 4 :– रोजगार सृजन संबंधी सूचना में 500 स्थायी रोजगार सृजन होना अवगत कराया गया है जो उचित प्रतीत नही होता है। रोजगार सृजन की सही स्थिति भरा जाना प्रस्तावित है।
5. बिन्दु संख्या 5 :– यूजर ऐजेन्सी द्वारा संलग्न ग्रामवार सूचना से वनाधिकार प्रमाण पत्र में ग्राम मदनाखेडी की सूचना का मिलान नही होता है। जो संशोधित कर प्रस्तुत किया जाना है।
6. प्रस्ताव में दो सैट हार्ड प्रति के चाहे गये थे जो अपेक्षित है इनमें से एक सेट मूल प्रतियो के साथ एवं एक सेट फोटो प्रति जिसमें सभी दस्तावेजो पर यूजर ऐजेन्सी (वन विभाग द्वारा जारी दस्तावेजों के अतिरिक्त) एवं उप वन संरक्षक (वन विभाग द्वारा जारी एवं एरिया केलकुलेशन रिपोर्ट समस्त नक्शे, जमाबंदी राजस्व मैप आदि) पर हस्ताक्षर मय नाम, पदनाम एवं दिनाक सहित मुहर लगाया जाना प्रस्तावित है।
7. प्रस्ताव में अधिकृत अधिकारी द्वारा दी गई सूचना को मूल दस्तावेज से जिसमें अधिकृत अधिकारी के हसताक्षर मय नाम पदनाम एवं दिनांक अंकित हो से अपलोड किया जाना प्रस्तावित है। अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित है।
8. प्रस्ताव में एम0ओ0ई0एफ लखनउ द्वारा उनके पत्रांक दिनांक 18.9.2015 से चाही गई सूचनाए 2 वर्ष उपरांत भी अपूर्ण भिजवाई गई है। अतः विलम्ब का कारण स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है।
9. प्रस्ताव में उप वन संरक्षक बारां यह सुनिश्चित कर लेवे कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उलंघन हुआ अथवा नही । इस हेतु स्पष्ट टिप्पणी भिजवावे।

उपरोक्त बिन्दुओ की सूचना अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक कोटा को भिजवाया जाना प्रस्तावित है। अतः सूचना मय हार्ड प्रति के भिजवाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

(P.C. KUMAWAT)
DCF (FCA)
JAIPUR